विचार बिन्दु

जीवन में सबसे अच्छा दोस्त वह है, जो आपका सर्वश्रेष्ठ बाहर लाता है। –हेनरी फोर्ड

लाख मिटाए मिट न सकेगा, दाग है इतना गहरा

भारत का चुनाव आयोग पूरे विश्व में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से जिस प्रकार से इस काम को नियमित रूप से भारत का चुनाव आयोग करता आया है, उसका कोई सानी पूरी दुनिया में नहीं है। इसी कारण विश्व भर के चुनाव अधिकारी भारत के चुनाव आयोग से सीखते रहे हैं। हमारे चुनाव आयोग के अधिकारी और आयुक्त, विश्व के अन्य देशों में जाकर अपने अनुभव को साझा करते रहे हैं । पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी के समय में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से अब तक 143 देशों के चुनाव अधिकारी प्रशिक्षित हो चुके हैं ।

इस प्रकार की प्रतिष्ठा वाले भारत के निर्वाचन आयोग की पिछले कुछ समय से छवि बहुत धूमिल होती जा रही है। इसकी निष्पक्षता और कार्यप्रणाली के संबंध में जितनी आशंकाएं समाज के विभिन्न वर्गों एवं दलों द्वारा व्यक्त की गई हैं, उनसे तो यह लगता है कि इसकी छवि पूर्णतया ध्वस्त हो गई है। जिस चुनाव आयोग पर देश गर्व करता था, अब कई बार वह शर्मनाक कृत्य करने लगा है।

विशेष रूप से समस्या तब उत्पन्न हुई जब चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार चुनाव से पहले एस आई आर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश जारी किया। इसके माध्यम से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से संबंधित कई आमूल चूल परिवर्तन कर दिए। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 के साथ ही घोषणा पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया जिसमें 2003 के एस आई आर में स्वयं की या माता-पिता की जानकारी चाही गई थी। यह जानकारी अधिकांश लोगों के पास उपलब्ध होना संभव नहीं था। परिणाम स्वरुप, लाखों-करोड़ों वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए। मतदाता सूचियों को पूरी नई बनाई गईं। चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश इतने जटिल बना दिए गए कि परेशान होकर अनेक बी एल ओ ने आत्महत्या तक कर ली। जो लोग लगातार चार-पांच चुनाव में वोट कर चुके थे उनके नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए गए। पुनः जुड़वाने की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि लोग अपना काम धंधा छोड़कर इसी में लग गए। उसके बावजूद भी अधिकांश इसमें सफल नहीं हो पाए।

बिहार के बाद बंगाल के चुनाव में तो इस धांधली की पराकाष्ठा ही हो गई। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लगभग 27 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। इनमें कई प्रबुद्ध व्यक्ति भी थे। इन्होंने जब इसकी अपील न्यायिक ट्रिब्यूनल में की, तो गत एक वर्ष में केवल 1.23 लाख अपीलों का निपटारा हो पाया, जिसमें 93 प्रतिशत व्यक्ति मतदाता बनने के योग्य पाए गए। स्पष्ट है उनके नाम पहले गलत रूप से मतदाता सूचियां से काटे गए थे। उल्लेखनीय है कि मतदाता सूचियों में अपना नाम अंकित कराने में असफल रहने वाले व्यक्तियों में अधिकांश निम्न वर्ग के और गरीब व्यक्ति होते हैं, जिनके लिए किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी प्रमाण पत्र प्राप्त करना लगभग असंभव सा हो जाता है ।

अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र के दामन पर सबसे बड़ा दाग तो स्वयं चुनाव आयोग ने लगाया है। जो मतदाता सूची निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की आधारशिला होती है, उसी के शुद्धिकरण के नाम पर इसे पूर्णतया दूषित कर दिया गया । जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने निर्वाचन आयोग के सभी गलत अनुचित निर्णयों का बचाव करने का काम किया, उसने तो यह संकेत दिया कि चुनाव आयोग, ये सारे काम सत्ताधारी दल के इशारे पर कर रहा है।

चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा लिए गए निर्णयों के विरोध में अपना लिखित मत व्यक्त किया था। कानून के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों की लिखित आपत्ति के बावजूद ज्ञानेश कुमार द्वारा लिए गए निर्णय, चुनाव आयोग के नहीं कहे जा सकते हैं। केवल इसी आधार पर एस आई आर को निरस्त किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अंजलि भारद्वाज द्वारा सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना में निर्वाचन आयोग ने स्वयं माना है कि उनके द्वारा कोई निर्णय एस आई आर के संबंध में नहीं लिया गया। जब चुनाव आयोग में एस आई आर का निर्णय ही नहीं लिया तो फिर इस संबंध में परिपत्र, राज्यों को कैसे जारी किए गए? कैसे कई प्रकार के फॉर्म में बदलाव किया गया? अब जिन लोगों के नाम कट गए, उन्हें पुनः जोड़ने की कवायद चुनाव आयोग कर रहा है। उनसे फॉर्म 6 भरवाया जा रहा है, (जिसमें नए मतदाता का रजिस्ट्रेशन होता है), और उसके लिए यह शपथ पत्र लेना होता है कि वह पहले से मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैध मतदाताओं को आपराधिक कार्यवाही करने के लिए पबाध्य किया जा रहा है। क्या केवल चुनाव आयोग का काम मतदाताओं के सिर पर अपराधी कार्रवाई की तलवार लटकाने रखने का ही रह गया है? नागरिकता के बारे में चुनाव आयोग ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की। प्रचलित आधार, एपिक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि सभी को खारिज करते हुए अनेक लोगों को नागरिक नहीं मानकर उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। अब 'आधार' तक को मान्य किया जा रहा है।

न्यायपालिका भी अपने स्तर पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई को रोकने में असफल रही। इसलिए कुछ हद तक वह भी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। यह दाग दूर करने का सर्वोच्च न्यायालय के पास एक अवसर है।

नाम हटाने के लिए, कैसे और किसके द्वारा 16 लाख अपीलें बंगाल में प्रस्तुत कर दी गईं, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा है ।

जब एस आई आर से संबंधित अवैधानिक और अनियमितता के बारे में किसी स्तर पर सपष्ट जानकारी नहीं मिली और ज्ञानेश कुमार सार्वजनिक रूप से इस बारे में प्रेस कांफ्रेंस करने के लिए एक बार भी आगे नहीं आए, तो एक जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के अलावा सभी विपक्षी दल भी सम्मिलित हुए। इनकी प्रमुख मांग थी कि ज्ञानेश कुमार अपनी अवैध कार्रवाइयों के लिए इस्तीफा दें, किंतु यह इस्तीफा न होना था न हुआ, क्योंकि उन्हें सत्ताधारी दल का जब तक इशारा नहीं होगा ऐसा वह नहीं करेंगे। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली की आलोचना सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश उज्जवल भुइयां ने अपने उद्बोधन में की है। वहीं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी, आयुक्त अशोक लवासा पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रोहिंटन नरीमन आदि सब ने बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपने अधिकार से वंचित करने को लोकतंत्र का मजाक बताया है।

उत्तर प्रदेश में तो चुनाव आयोग ने कमाल ही कर दिया जब अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मतदाताओं के नाम ही बदल दिए गए जबकि एपिक नंबर वही रखा गया । ऐसी स्थिति में जब वह मतदान केंद्र पर जायेगा तो नाम में भिन्नता होने के कारण उसे वोट देने से वंचित किया जाएगा। ऐसे नाम बदलने के मामले केवल पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में ही लगभग 14000 हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवनीत रिणवा ने इसे आपराधिक कृत्य माना है। मजे की बात यह कि जिन फॉर्म्स के आधार पर ये नाम बदले गए वे कार्यालय में ही उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार सबसे बड़ा दाग तो निर्वाचन आयोग के दामन पर लगा है।

इसे कैसे धोया जाएगा, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है । वह ऐसा करने में उत्सुक भी नहीं दिखाई दे रहा है।

ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध जन आंदोलन के दौरान पुलिस ने जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही अहिंसक आंदोलनकारियों के विरुद्ध की, उसने भी एक प्रकार से पुलिस प्रशासन पर दाग ही लगाया है। पुलिस की पक्षपात पूर्ण कार्यवाही सभी ने देखी है। बरसों से प्रदर्शन के स्थल जंतर मंतर को, अचानक प्रदर्शन स्थल के लिए जारी लिस्ट से निकाल दिया। दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई। इसके अंतर्गत चार से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना गैरकानूनी बना दिया गया। इसी के फल स्वरुप पिछले कई दिनों से जहां जहां पर भी अहिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पुलिस जबरदस्ती उन्हें रोककर, अर्ध सैनिक बलों और पुलिस बल के साथ उन्हें घसीट कर बसों में भर रही है। अब उन सबसे 'पीस बॉन्ड' भरने के लिए कहा जा रहा है। यह कहीं स्पष्ट नहीं है कि क्या अहिंसक आंदोलन करना शांति को भंग करना है? पुलिस ने तो शायद ऐसा ही सोच रखा है। इसीलिए सी जे पी के तीनों नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को सार्वजनिक रूप से आंदोलन करने से वंचित ही कर दिया गया है। आश्चर्यजनक रूप से सौरव दास और आशुतोष रांका को तो शांति भंग करने की आशंका में ही आठ दिन तक तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया । पुलिस ने विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर, पत्रकारों, वकीलों आदि के आंदोलन को भी कुचलने का काम किया है। इसके विपरीत जब भी भाजपा समर्थित गुंडो ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया और मारपीट की, पुलिस ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और न उन्हें ऐसा करने से रोका। इसके उलट, उन्हें खुली छूट दे दी। इन गुंडो ने किस प्रकार से महिलाओं के साथ बदसलूकी की, यह सब ने देखा है। तो, दूसरा दूसरा पुलिस पर लगा है। वह तभी दूर हो सकता है जब पुलिस अनावश्यक रूप से अहिंसक आंदोलन करने वालों पर बल प्रयोग ना करे और सबके प्रति एक समान दृष्टिकोण रखे। सत्ताधारी दल के नेता तो किसी भी प्रकार का निर्देश दे सकते हैं, किंतु पुलिस अधिकारियों से इस प्रकार की एक तरफा कार्रवाई करने की अपेक्षा नहीं की जाती। अब भी वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करके अपने पर लगा दाग कुछ हल्का कर सकते हैं।

इस पूरे प्रकरण में, न्यायपालिका भी अपने ऊपर दाग लगने से नहीं बच पाई है। अंतिम शरण, न्याय के लिए, न्यायपालिका को माना जाता है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया और कई बार अनेक प्रकार की अनियमितता स्पष्ट होने के बावजूद, एस आई आर को जारी रहने दिया गया और इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। न्यायपालिका भी अपने स्तर पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई को रोकने में असफल रही। इसलिए कुछ हद तक वह भी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। यह दाग दूर करने का सर्वोच्च न्यायालय के पास एक अवसर है। अब भी फॉर्म 6 में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जो बदलाव कर दिए उसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना काम करने से रोकने का आदेश जारी करे। साथ ही, एस आई आर स्थगित करते हुए जून 25 से पूर्व की मतदाता सूचियों के आधार पर आगामी चुनाव करवाने के आदेश जारी करे। यदि वह ऐसा कर पाए, तो उनके ऊपर लगा दाग कुछ हद तक कम हो सकता है।

देश की प्रत्येक संवैधानिक संस्था के दामन पर दाग लगे जो समय के साथ-साथ और गहरे होते गए। उन्हें मिटाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। यदि उनको मिटाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं हुए तो फिर हम पुरानी फिल्म का यही गाना गाने पर विवश होंगे– ''**लाख मिटाए, मिट न सकेंगे ये दाग हैं इतने गहरे.....**''

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

कमजोर सार्वजनिक यातायात व्यवस्था

प्रो.कैलाश सोडाणी

सार्वजनिक यातायात भारत जैसे विशाल एवं अत्यधिक जनसंख्या वाले देश के नागरिकों की जीवन रेखा है। रोजाना करोड़ों लोग अपने रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय आदि जरूरतों के लिए ट्रेन, बस, मेट्रो, टैक्सी, निजी वाहन जैसे साधनों पर निर्भर रहते हैं। वर्तमान समय में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ व्यक्ति की चौथी अनिवार्य आवश्यकता परिवहन हो चुकी है। लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर तो स्थिति काफी ठीक हो चुकी है परन्तु यातायात को लेकर तो स्थिति बहुत कमजोर है। अमीर हो या गरीब, शहरी हो या ग्रामीण सभी परेशान हैं। समय की बर्बादी से दुःखी हैं। महानगरों में रोज 2 से 4 घण्टे वाहन में एवं उसके इन्तजार में ही व्यतीत हो रहे हैं। संघर्ष के साथ बस में चढ़ना तथा धक्का-मुक्की के साथ खड़े-खड़े यात्रा पूर्ण करना शहरी जीवन का नियमित कार्यक्रम है। निजी वाहन की सुविधा के बावजूद भी चलना तो रेंगते हुए ही पड़ेगा। 10 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में एक घण्टा लगना तो मामूली बात है। वाहनों की बढ़ती संख्या से प्रदूषित वातावरण तथा हॉर्न की करकश आवाजों ने जीवन को और दुभर बना दिया है। प्रतिदिन मानव संसाधन के लाखों कार्य के घंटे यातायात में ही निपट रहे हैं। यह प्रत्यक्षतः व्यक्ति एवं समाज का आर्थिक नुकसान है।

देश में पदयात्री सुरक्षा और सम्मान के अभाव में व्यथित हैं। शहरों में सड़क पर पैदल चलना खतरों से खेलना है। हालात इतने खराब हो गये हैं, जिससे पैदल चलने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही है।शहरों में वाहनों के लिए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के चक्कर में फुटपाथों को समाप्त कर दिया गया और यदि कहीं बच गये तो फिर वे अतिक्रमण की भेंट चढ़ गये। इस सम्बन्ध में सवोच्च न्यायालय के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं- ''फुटपाथ केवल पैदल यात्रियों के लिए है, अतिक्रमण एवं पार्किंग के लिए नहीं है।'' सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध होने पर लोग 2-4 किलोमीटर की यात्रा के लिए वाहन के बजाय पैदल चलना ही पसंद करेंगे। दिल्ली का कनॉट सर्किल सुरक्षित फुटपाथ का अच्छा उदाहरण है। दुनिया के लगभग सभी विकसित देशों में पदयात्री को सुरक्षा एवं सम्मान उपलब्ध है। वहाँ के सुरक्षित फुटपाथ पैदल चलने के लिए प्रेरित करते हैं। पदयात्री यदि रोड क्रॉस करता है तो दोनों ओर का ट्रैफिक उसके सम्मान में स्वयंमेव रुक जाता है। इन देशों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी बहुत मजबूत है। अनावश्यक रूप से मानव श्रम एवं समय खराब नहीं हो रहा है। अनेक देशों में साइकिल यात्रियों के लिए भी मार्ग आरक्षित है। भारत ने पदयात्रियोंके साथ-साथ साइकिल यात्रियों को भी बहुत निराश किया है। यही कारण है कि सन् 2000 से साइकिलों की बिक्री लगातार घट रही है। दोपहिया एवं कारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। दो पहिया वाहनों में तो भारत दुनिया में सबसे आगे है। सार्वजनिक बस परिवहन की कमजोर व्यवस्था के कारण गाँव का गरीब आदमी भी दो-पहिया वाहन खरीदने के लिए मजबूर है।

शहरों के आन्तरिक यातायात के साथ-साथ जब बाहर की यातायात व्यवस्था पर चर्चा करते हैं तो स्थिति थोड़ी ठीक नज़र आती है। एक शहर से दूसरे शहर या गाँव तथा एक गाँव से दूसरे गाँव या शहर आने-जाने के लिए देश में सड़क, रेल, वायु एवं जल परिवहन की व्यापक सुविधा उपलब्ध है। देश में सड़कों का कुल नेटवर्क लगभग 65 लाख किलोमीटर है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। जिस पर लगभग 38 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। जो हमारे देश का लगभग 85 प्रतिशत यात्री भार को सम्भाल रहे हैं। करीब 1.5 लाख राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से सड़क यातायात की स्थिति ही बदल गई। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे का है। जो आज अभूतपूर्व तकनीकी एवं आधुनिक बदलावों के साथ तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। देश में कुल रेल मार्ग 67415 किलोमीटर है। 7325 रेलवे स्टेशनों के द्वारा वर्ष 2025-26 में 741 करोड़ यात्रियों ने रेल यात्रा का लाभ उठाया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। वर्ष 2025 में 166 हवाई अड्डों के माध्यम से 24 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा का लाभ उठाया। भारत के पास लगभग 14500 किमी अंतर्देशीय जल मार्ग है। 7500 किलोमीटर लम्बी समुद्री तट रेखा है। 111 राष्ट्रीय जलमार्ग और 12 प्रमुख बन्दरगाह है। 2025 में 7.6 करोड़ यात्रियों ने जल परिवहन का उपयोग किया। जल परिवहन सबसे किफायती और ऊर्जा-कुशल साधन होते हुए भी भारत की इस दिशा में प्रगति की गति बहुत धीमी है। सारांश में यही कहा जा सकता है कि देश के लगभग सभी शहरों में आन्तरिक यातायात की व्यवस्था बहुत कमजोर है, लोग बहुत परेशान है। समाधान के लिए पैदल एवं साइकिल यात्रा को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करना होगा। मेट्रो और सिटी बस सेवा को आवश्यकता के अनुरूप तैयार करना होगा।

–प्रो.कैलाश सोडाणी,
पूर्व कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

फसल अवशेष प्रबंधन से किसानों को करें सशक्तः बढ़ेगी आय, घटेगी लागत और सुरक्षित रहेगा पर्यावरण

आकांक्षा शर्मा

किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती को अधिक लाभदायक बनाना समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वैज्ञानिक तरीके से फसल अवशेष प्रबंधन (पराली प्रबंधन) किसानों को कटाई के बाद बचने वाले कृषि कचरे को एक मूल्यवान संसाधन में बदलने, अतिरिक्त आय अर्जित करने और उपलब्ध कृषि मशीनरी का बेहतर उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। यह अवशेषों को जलाने से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं, जैसे कि सर्दियों के दौरान धुआं, वायु प्रदूषण और दृश्यता (विजिबिलिटी) में कमी को दूर करने में भी मदद करता है।

धान और गेहूं के भारी उत्पादन वाले जिलों (जिनमें कोटा, बूंदी, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अन्य शामिल हैं) में फसल अवशेष संग्रहण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र किसानों के अनुरोध पर सीधे उनके खेतों से कृषि अपशिष्ट को निःशुल्क एकत्र करते हैं। संग्रहण का पूरा खर्च संबंधित केंद्र द्वारा वहन किया जाता है, जो एकत्र किए गए अवशेषों को संभालने और परिवहन के लिए बेलर मशीनों के माध्यम से छोटे व कॉम्पैक्ट बंडलों में बदल देता है। यह सुविधा किसानों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के फसल अवशेषों का प्रबंधन करने में मदद करती है।

किसान लागू सरकारी योजनाओं के तहत पात्र कृषि मशीनरी पर लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इन उपकरणों में गन्ना कटर (सुगरकेन ट्रैश कटर), स्ट्रॉ श्रेडर, रेक, स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर, बेलर और फीड ब्लॉक मशीनें शामिल हैं। वास्तविक सब्सिडी मशीनरी के प्रकार, किसान की श्रेणी और योजना के दिशानिर्देशों पर निर्भर करती है। ये प्रावधान किसानों को निवेश का बोझ कम करते हुए आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद कर सकते हैं।

किराए पर भी उपलब्ध हैं मशीनें

जो किसान महंगी मशीनरी नहीं खरीदना चाहते, वे बेलर, रोटावेटर, एमबी प्लाउ (हल) और सुपर सीडर जैसी मशीनों को किराए पर लेने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मशीनरी किराए पर लेने से किसानों को भारी अग्रिम खर्च से बचने में मदद मिलती है और उन्हें अवशेष प्रबंधन व खेत की तैयारी के लिए आवश्यक उपकरण भी मिल जाते हैं। इससे परिचालन लागत कम हो सकती है और खेती अधिक कुशल बनती है।

फसल अवशेषों का उपयोग पशु चारे, जैविक खाद और बायोमास उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त आय के अवसर पैदा होते हैं। अवशेषों को मिट्टी में सही तरीके से मिलाने से जैविक पदार्थ, नमी बनाए रखने की क्षमता और फायदेमंद सूक्ष्म जीवों (माइक्रोबियल) की गतिविधि में सुधार होता है, जो मिट्टी की उर्वरता और टिकाऊ फसल उत्पादन का समर्थन करता है। कृषि अपशिष्ट का बेहतर उपयोग फिजूलखर्ची को भी कम कर सकता है और कृषि कार्यों की समग्र दक्षता में सुधार कर सकता है।

फसल अवशेषों को जलाने से वायुमंडल में धुआं और हानिकारक कण उत्सर्जित होते हैं। सर्दियों के दौरान, ये उत्सर्जन स्मॉग (धुंध), हवा की गुणवत्ता बिगड़ने और दृश्यता कम होने का कारण बनते हैं। अवशेषों को जलाने से बचकर इन पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सकता है, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा की जा सकती है और हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को रोका जा सकता है।

राजस्थान में लागू प्रावधानों के तहत फसल अवशेष (पराली) जलाना प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर पर्यावरण मुआवजा (जुर्माना) लगाया जा सकता है। इसलिए, किसानों को वैज्ञानिक विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि बेलिंग, मल्चिंग, मिट्टी में मिलाना और अवशेषों का पशु चारे या बायोमास के रूप में उपयोग करना। ये पद्धतियां स्वच्छ हवा और स्वस्थ पर्यावरण में योगदान देने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

–आकांक्षा शर्मा,
जनसम्पर्क अधिकारी, कोटा

हर्बालाइफ न्यूट्रिशन : बदलती जीवनशैली में पोषण के प्रति बढ़ती जागरुकता

डॉ. लीलाधर दोचानिया

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना पहले की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। व्यस्त दिनचर्या, काम का बढ़ता दबाव, खान-पान में बदलाव, फास्ट फूड की बढ़ती आदत और शारीरिक गतिविधियों में कमी ने स्वास्थ्य को हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय बना दिया है। यही कारण है कि अब लोग केवल बीमारी का इलाज कराने के बजाय स्वास्थ्य को बनाए रखने, सही पोषण लेने और फिट रहने के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं।

इसी बदलती सोच के बीच हर्बालाइफ न्यूट्रिशन जैसे न्यूट्रिशन एवं वेलनेस ब्रांड और उनसे जुड़े क्लब भी लोगों के बीच चर्चा में आए हैं। हर्बालाइफ की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी। कंपनी के अनुसार, वह दुनिया के अनेक देशों में पोषण, फिटनेस और वेलनेस से संबंधित उत्पाद उपलब्ध कराती है।

कुछ समय पहले तक सामान्य धारणा थी कि पेट भर जाना ही पर्याप्त भोजन है। अब लोगों की सोच बदल रही है। वे यह समझने लगे हैं कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए भी है। हमारे शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। इन सभी का संतुलन शरीर को सामान्य रूप से स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं विटामिन और खनिज शरीर की अनेक सामान्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन यह समझना भी जरूरी है किअधिक मात्रा हमेशा अधिक लाभ नहीं देती। प्रत्येक व्यक्ति की पोषण संबंधी जरूरत उसकी उम्र, भोजन, शारीरिक गतिविधि और अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव के आधार पर स्वयं के लिए कोई उत्पाद या डाइट तय करना उचित नहीं है।

स्वास्थ्य की चर्चा केवल भोजन तक सीमित नहीं रह सकती। शरीर को सक्रिय रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पैदल चलना, योग, अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम, खेलकूद अथवा अन्य शारीरिक गतिविधियां स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा हो सकती हैं। नियमित व्यायाम शरीर को सक्रिय रखने के साथ दिनचर्या में अनुशासन भी लाता है। लेकिन व्यायाम भी व्यक्ति की उम्र और शारीरिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए। किसी को देखकर उसी स्तर का व्यायाम करना उचित नहीं है।

न्यूट्रिशन उत्पाद खरीदते समय केवल किसी व्यक्ति की सलाह या सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले अनुभवों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उत्पाद का लेबल, सामग्री, मात्रा, उपयोग की विधि और संबंधित नियामकीय जानकारी देखना जरूरी है। हर्बालाइफ भी अपनी आधिकारिक जानकारी में अपने उत्पादों को संतुलित आहार और सक्रिय जीवनशैली के साथ उपयोग किए जाने की बात कहती है। साथ ही कंपनी यह स्पष्ट करती है कि उसके उत्पाद किसी बीमारी के निदान, उपचार, रोकथाम या इलाज के लिए नहीं हैं। यही बात हर उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण है- न्यूट्रिशन के क्षेत्र में उत्साह के साथ विवेक भी जरूरी है।

आज हर व्यक्ति कम समय में बेहतर स्वास्थ्य चाहता है। लेकिन वास्तव में स्वास्थ्य कोई शॉर्टकट नहीं है। यह रोज की छोटी-छोटी अच्छी आदतों से बनता है। समय पर भोजन करना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव को नियंत्रित रखने का प्रयास करना-ये सभी स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। स्वास्थ्य के मामले में न तो अंधविश्वास उचित है और न ही बिना जानकारी के किसी चीज को पूरी तरह स्वीकार या अस्वीकार करना।

यह भी एक सकारात्मक संकेत है कि आज लोग अपने भोजन और स्वास्थ्य को लेकर जानकारी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जागरूकता का सही अर्थ यही है कि हम किसी भी दावे को आंख बंद करके स्वीकार न करें, बल्कि उसके पीछे की जानकारी को समझें, अपनी आवश्यकता को पहचानें और आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। स्वास्थ्य के मामले में न तो अंधविश्वास उचित है और न ही बिना जानकारी के किसी चीज को पूरी तरह स्वीकार या अस्वीकार करना।

अंत में....स्वस्थ जीवन किसी एक उत्पाद से नहीं, बल्कि सही आदतों के संतुलन से बनता है।

थाली हो संतुलित, दिनचर्या हो नियमित,
व्यायाम बने जीवन का हिस्सा, तो स्वास्थ्य रहे सुरक्षित।

आज जरूरत इस बात की है कि हम बीमारी आने का इंतजार न करें, बल्कि पहले से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। सही पोषण, नियमित व्यायाम और अनुशासित जीवनशैली को अपनाकर हम अपने वर्तमान को बेहतर और भविष्य को अधिक स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ विचारों और स्वस्थ समाज की मजबूत नींव है।

–डॉ. लीलाधर दोचानिया,
सेवानिवृत्त (डिप्टी डायरेक्टर), राज.सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर,

राशिफल मंगलवार 27 अक्टूबर, 2026

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत-2083, भरणी नक्षत्र दिन 3:39 तक, सिद्धि योग दिन 10:53 तक, कौलव करण प्रातः 7:06 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 9:07 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मेष, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग प्रातः 7:02 से दिन 3:39 तक है। त्रिपुष्कर योग दिन 3:39 से रात्रि 4:07 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 3:39 से आरम्भ होगा। आज अशून्य शयन व्रत है। द्वितीया तिथि का क्षय हुआ है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– चर 9:22 से 10:47 तक, लाभ-अमृत 10:47 से 1:34 तक, शुभ 2:57 से 4:21 तक।

राहुकाल– 3:00 से 4:30 तक, सूर्योदय 6:37, सूर्यास्त 5:44

मेष
व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी, महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में आज भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

धनु
परिवार में अनावश्यक वाद-विवाद हो सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज यात्रा में दुर्घटना का भय है।